कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)
E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 1339/01 सी० दिनांक 13 /09/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :— जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़—जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन। (प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/41009/2019**)

संदर्भ :— आपका पत्रांक 706 / 12—1, कोटबंगला दिनांक 24.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में इंगित कर्मियों की बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार है—

01 — बिन्दु संख्या 01 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश पुनः सत्यापन करवाने का प्राविधान नही है, अतः उक्त शासनादेश का सत्यापन करवाना सम्भव नही है।

02— बिन्दु संख्या 02 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु का एलीवेशन 1500.00 मीटर है एवं अन्तिम बिन्दु का एलीवेशन 1412.49 मीटर है, मोटर मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु एवं अन्तिम बिन्दु की ऊर्ध्वाधर दूरी 87.51 मीटर है, किन्तु गोरूण पोखरी के अन्तिम तोक / बस्ती जिसका एलीवेशन 1369.83 मीटर है जिसके अनुसार Existing मोटर मार्ग से उर्ध्वाधर दूरी 130.17 मीटर आ रही है।

अतः गोरूण पोखरी के अन्तिम तोक / बस्ती को मोटर मार्ग से संयोजकता प्रदान करना नितान्त आवश्यक है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

[illegible]
निकास रूपए सिगाली रोड से सिगाली रोड-
ओगष मोटर मार्ग से कोटला तक मोटर मार्ग
का समरेखण।

SCALE = H = 1CM = 100M
V = 1CM = 10M.

ALIGNMENT NO - 1

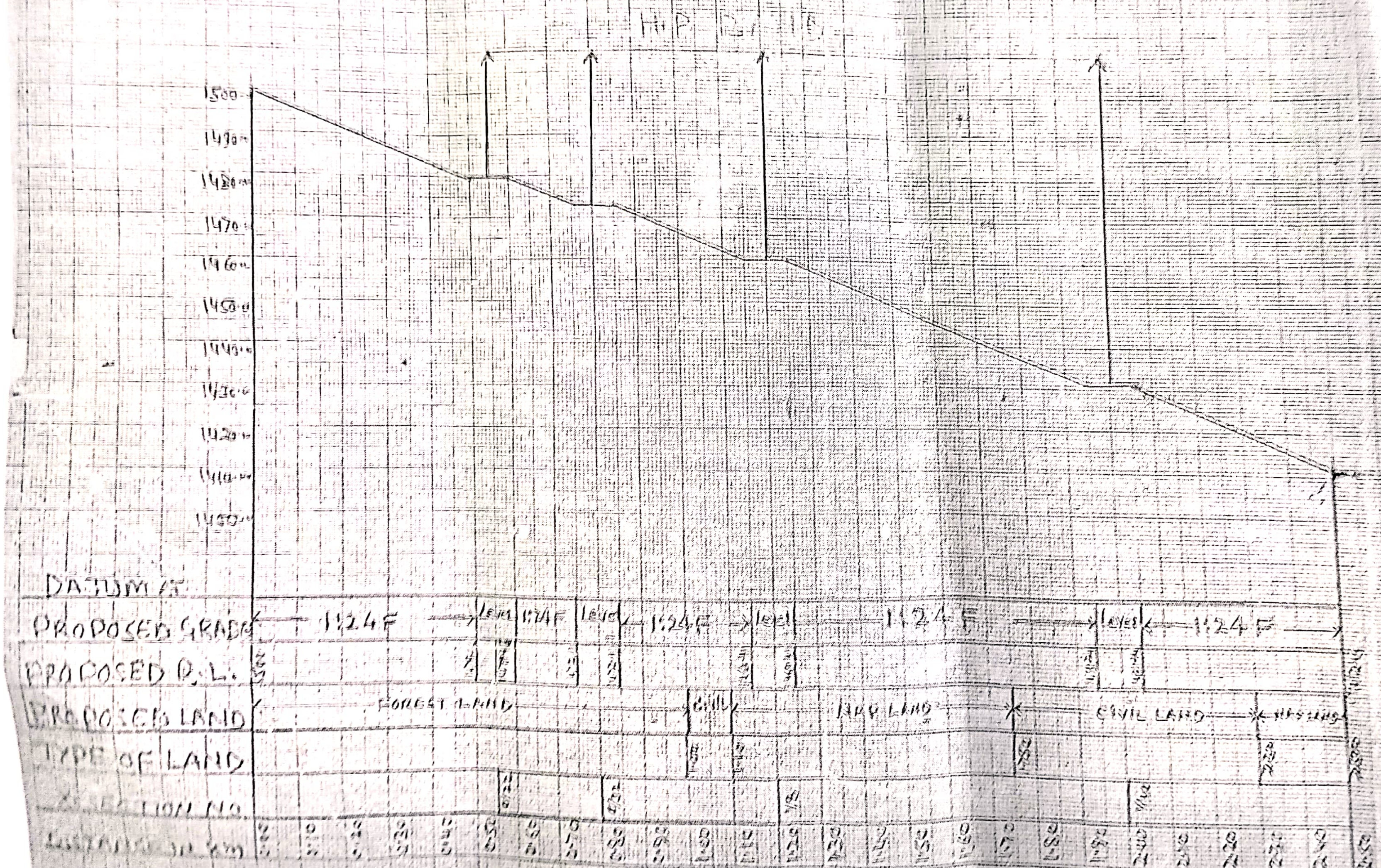

कार्य का नाम – राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० लम्बाई निर्माण हे 1.5225 हे० आरक्षित /सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/41009/2019)**

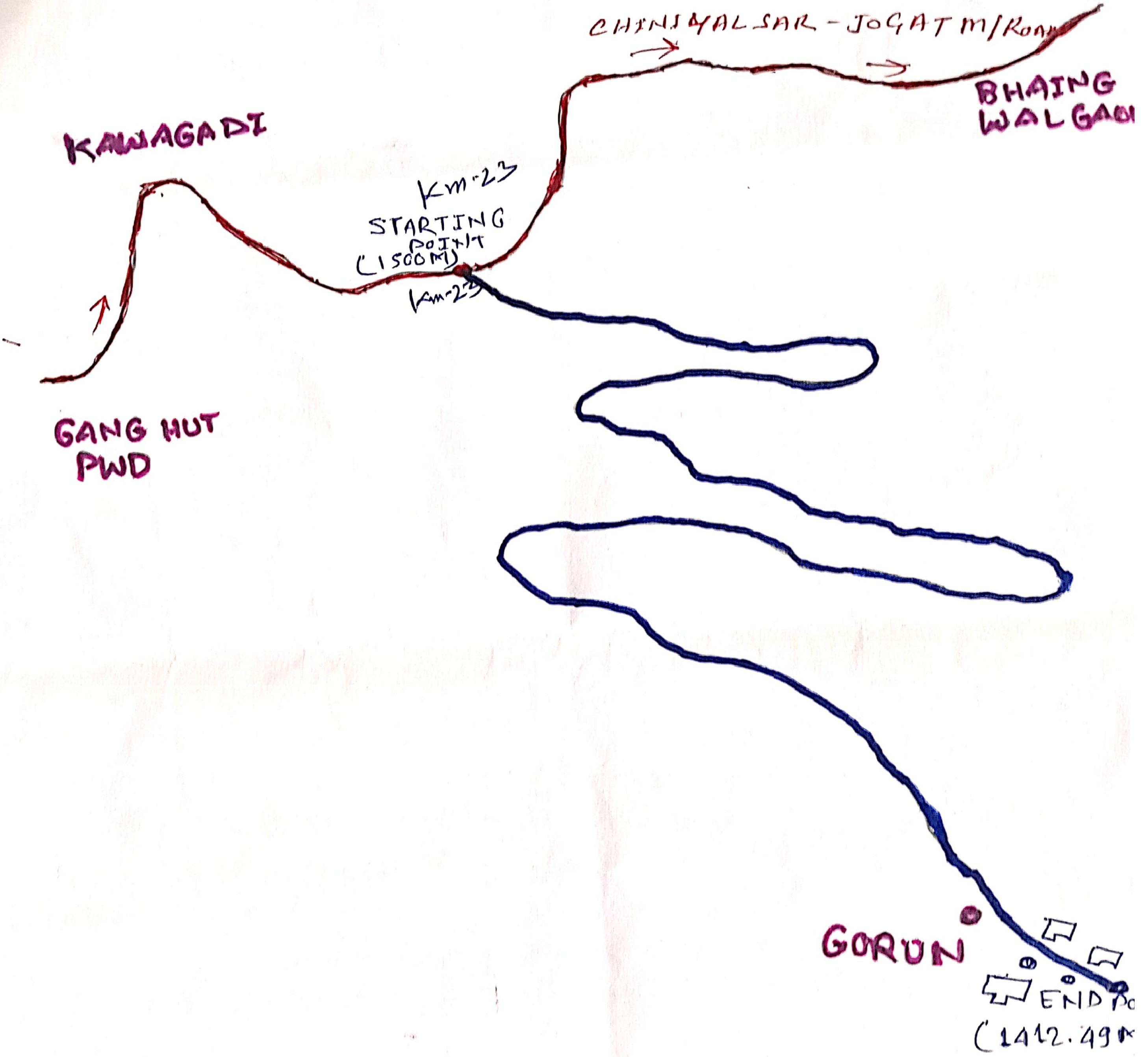

EXISTING M/R –

PROPOSED M/R –

SCALE – NOT TO SCALE

A.A.En

AE

शासनादेश संख्या-- 549 / III(2)/14-49(प्रा०आ०)/2013 दिनांक 29 जनवरी, 2014 का संलग्नक

24	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	20.51 [5.85 + 14.66 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
25	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री, के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00	119.65 [32.85 + 86.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
26	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री, के अन्तर्गत गौनाग मोटर मार्ग से पयांसरी होते हुए ब्रह्मखाल-जुणगा मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एक 24 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित कार्य।	5.00 + 24 mt	89.93 [30.93 + 59.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
27	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में गंगटाड़ी से पटागणी होते हुए बरसाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	63.14 [40.95 + 22.19 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
28	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत मालना से लोल्दू मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	2.00	0.34	0.10
29	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र--धनोल्टी के विकासखण्ड-- जौनपुर में थान-किट्ठ कुण्ड डाण्डा की बैली खनेरी मोटर मार्ग का निर्माण।	9.00	70.65 [52.65 + 18.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
30	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चायखान-थुवासिमल मोटर मार्ग के कि०मी० 5.00 से रटेश्वर महादेव मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	23.45 [17.55 + 5.90 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
31	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली (मनिआगर)-मैचून मोटर मार्ग का ग्राम बतौली तक विस्तार का कार्य।	3.00	22.98 [17.55 + 5.43 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
32	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या--डसीली मोटर मार्ग से ग्राम गौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.00	15.32 [11.70 + 3.62 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
	योग:-	154.30 + 05	1264.32	3.20

(कुल ₹ तीन लाख बीस हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में नेवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 –लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800– अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 730/XXVII/(2)/2013 दि0: 28 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

<u>संलग्नक:– यथोपरि।</u>

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

<u>संख्या:- 549 (1)/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिना)
अनु सचिव

संख्या– 549 / III(2)/13–53(सामान्य)/2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 29 जनवरी, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 32 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 32 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 149.30 किमी0 + 05 सेतु तथा लागत ₹ 1264.32 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1264.32 लाख (₹ बारह करोड़ चौंसठ लाख बत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 32 कार्य हेतु ₹ 3.20 लाख (₹ तीन लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय अनुदान सं0–2.. ....–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय 05 सड़क मदों/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में [illegible] की गयी धनराशि से किया जायेगा।

[signature] 29/1/14